मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १२ सन् २०१९

मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, २०१९.

मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) अधिनियम, २०१९ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ९ सन् १९८२) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा १८ में, उपधारा (१) में, शब्द ''बीस रुपए और पचास रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''चालीस रुपए और सौ रुपए'' स्थापित किए जाएं. **धारा १८ का संशोधन.**

३. मूल अधिनियम की धारा १९ में,— **धारा १९ का संशोधन.**

(एक) उपधारा (१) में, शब्द ''बीस रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''चालीस रुपए'' स्थापित किए जाएं.

(दो) उपधारा (२) में, शब्द ''पचास रुपए'' के स्थान पर, शब्द ''सौ रुपए'' स्थापित किए जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्तमान में उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष फाइल किए जाने वाले उपसंजाति ज्ञापन पर क्रमश: ५० रुपए और २० रुपए मूल्य के अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प लगाए जा रहे हैं.

२. इन स्टाम्पों के विक्रय से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग अधिवक्ताओं के लिए चलाई जा रहीं कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में किया जाता है. अत्यधिक मुद्रास्फीति के कारण, मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ९ सन् १९८२) के अधीन चलाई जा रहीं कल्याणकारी योजनाएं गंभीर रूप से प्रभावित हुई हैं. अतएव, मूल अधिनियम के अधीन लगाए जाने वाले स्टाम्पों का मूल्य बढ़ाकर उच्च न्यायालय में ५० रुपए से १०० रुपए तथा अधीनस्थ न्यायालयों तथा अन्य प्राधिकरणों/ अधिकरणों में २० रुपए से ४० रुपए किया जाना प्रस्तावित है. अत: मूल अधिनियम की धारा १८ और १९ में यथोचित संशोधन प्रस्तावित हैं.

३. अत: यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ४ जुलाई, २०१९

पी. सी. शर्मा
भारसाधक सदस्य.

उपाबन्ध

मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि अधिनियम, १९८२ (क्रमांक ९ सन् १९८२) से उद्धरण

* * * *

धारा १८ (१)—राज्य सरकार, मध्यप्रदेश विधिज्ञ परिषद् द्वारा की गई अध्यपेक्षा पर, ऐसे प्ररुप में और ऐसी रीति में, जैसा कि विधिज्ञ परिषद् के परामर्श से विहित किया जाए, बीस रुपये और पचास रुपये मूल्य के आसंजक स्टाम्प, जिन पर शब्द ''मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प'' अंकित होंगे, मुद्रित करेगी या मुद्रित करवाएगी और उनका वितरण और विक्रय हेतु विधिज्ञ परिषद् को प्रदाय १० प्रतिशत कमीशन के आधार पर किया जाएगा''.

धारा १९ (१)—उच्च न्यायालय से भिन्न किसी न्यायालय में फाइल किए गए उपसंजाति ज्ञापन पर बीस रुपये मूल्य का मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प होगा.

(२)—उच्च न्यायालय में फाइल किए गए उपसंजाति ज्ञापन पर पचास रुपये मूल्य का मध्यप्रदेश अधिवक्ता कल्याण निधि स्टाम्प होगा.

* * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.